<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08/2018 **दायर दिनांकः 05.10.2018**

उनवान

1. अमरीबाई पत्नि रामचरण जाति नागर ग्राम सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामचरण जाति नागर ग्राम सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. लाडबाई पत्नि जगदीश नागर ग्राम सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. रिंकू नागर पुत्र जगदीश नागर ग्राम सहरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6</u>

निर्णय

दिनांक 07.01.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया अमरी बाई पत्नि रामचरण को उसके पुत्र—पौत्र, पुत्रवधू के द्वारा प्रताडित किया जाता है। खाना नही दिया जाता तथा घर से बाहर निकाल दिया गया है। महिला की जमीन भी छीन ली है। छोटा बेटा रिंकू व उसकी मॉ लाड बाई रोटी नही देती व मारपीट करती है। अतः प्रार्थी को पीडामुक्त करवाकर जमीन वापस दिवाई जाए। प्रार्थी से उसके जेवरात मांगे जाते है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये नोटिस की गई अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुआ अतः अप्रार्थीगण 1 ल 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीया को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया बुजुर्ग महिला है। कार्य करने में असमर्थ है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—ःकियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थिया अमरी बाई को भरण—पोषण हेतु प्रति माह 2000/—रूपये नगद अदा करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां